अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

बतूल **बनाम** ग्राम पंचायत शाहजहापुर

किस्म मुकदमाः–निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, संख्या 2025/1832

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के आदेश दिनांक 09.09.2025 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि निगरानी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही होने के कारण अपील अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु लौटाई जानी उचित प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु वापस लौटाई जाती है। न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **(पूनम)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	